न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /27/2023

दुर्जनसिंह पुत्र गिर्राज जाति माली निवासी मालीपुरा सेवर कलां तहसील व जिला व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1—नगर विकास न्यास भरतपुर
2—राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 24—7—2022 बाबत नामान्तकरण संख्या 2405 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर।

———

उपस्थितः—
1—श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्ट,
2— पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 18.10.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 2405 दिनांक 14.7.2022 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2405 नगर विकास न्यास भरतपुर के हक में दर्ज किया जाकर दिनांक 14.7.2022 को तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 1.9.23 को पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पो. की तलबी की गई। तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक/एलआर/23/6744 दिनांक 6—10—2023 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर 2046/0.08 ग्रांम सेवर कलां तहसील भरतपुर खातेदार है। अपीलार्थी की विवादित आराजी को अधिकृत नहीं किया गया

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

है और नाहीं अपीलान्ट ने सम्पर्ण किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि एस.डी.ओ.भरतपुर ने कभी कोई 90वी एल.आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की है, अगर की है तो यह कार्यवाही उनके अधिकार क्षेत्र के बहार होने से खारिज योग्य है। नामान्तकरण में एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश का हवाला दिया गया है यह आदेश किस सन्दर्भ में है इसका कोई उल्लेख नहीं है, जब कि आदेश का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये था। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है, अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी है कोई आदेश पारित करने से पूर्व एक खातेदार को सुना जाना आवश्यक है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बतलाये जाने पर दिनांक 2.8.2023 को हुई, इसके बार नकल वगे0 लेकर अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.7.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपीलाधीन नामान्तकरण एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश दिनांक 1.4.22 की पालना में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। तहत न्यायालय ने तो केवल एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश की पालना की है। अगर अपीलान्ट को कोई एतराज है तो इन्हें एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश के खिलाफ चाराजोही करनी चाहिये थी। अपील म्याद बाहर पेश की गई। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद विन्दू पर विचार किया गया। म्याद के सन्दर्भ में आर. आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :—

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0वी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :—

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलान्ट का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे नोटिस नही दिया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2405 दिनांक 12.7.22 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण पर अंकित नोट जो इस प्रकार है –

> "....श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आदेश क्रमांक/778 दिनांक 1.4.22 एवं तहसीलदार भरतपुर क्रमांक भूअभि/22/371–78 दिनांक 8.4.22 की अनुपालना में नामान्तकरण दर्ज कर पेश है..... ।"

नामान्तकरण पर अंकित उक्त नोट से स्पष्ट है कि यह नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश की अनुपालना में खोला जाकर तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे आदेश को तहसीलदार भरतपुर का स्वतन्त्र आदेश नहीं माना जा सकता है। तहसीलदार भरतपुर ने तो एस.डी.ओ. भरतपुर के आदेश की पालना की है। आदेश की पालना में खोला गये नामान्तकरण में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर अपीलान्ट को कोई एतराज है तो उसे एस.डी.ओ.भरतपुर के आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर